

कार्यालय-अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 17-1 (ख) एवं शासनादेश संख्या 221278/XXX(2)/2024/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण सत्र 2024-25 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर गढ़वाल मण्डल पौड़ी के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित वैक्सीनेटरों का स्थानान्तरण तत्काल प्रभार से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है :-

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र० सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री हीरा सिंह, वैक्सीनेटर	प0चि0 मुन्दोली, जनपद-चमोली	प0चि0-देवाल, जनपद-चमोली	निजी अनुरोध
2	श्री संजय जुयाल, वैक्सीनेटर	प0चि0-नई टिहरी जनपद-टिहरी गढ़वाल	प0चि0-फकोट, जनपद-टिहरी गढ़वाल	निजी अनुरोध

1- उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के प्राविधानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से स्थानीय व्यवस्था पर कार्यमुक्त होकर 10 दिन के भीतर नवीन तैनाती स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

2- अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को स्थानान्तरण भत्ते हेतु अर्ह नहीं होंगे।

(डा० नीरज सिंघल)
अपर निदेशक।

संख्या: 914 /स्था०दो/वा०स्थाना०/2024-25 दिनांक 30 जुलाई, 2024

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, चमोली/टिहरी गढ़वाल।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
4. सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी।
5. सम्बन्धित कार्मिकों को अनुपालनार्थ।

(डा० नीरज सिंघल)
अपर निदेशक।